निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.4/पॉलिसी/काशि/अनु./1780 दिनांकः 13-8-13

कार्यालय–आदेश

विभाग के आदेश क्रमांकःएफ.4/पॉलिसी/काशि/अनु./165 दिनांकः 3.7.13 के द्वारा ऐसी संस्थाएँ जिनके संचालन के अभी 5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं व फिर भी उनके द्वारा स्थाई मान्यता के मापदण्डों की पूर्ति नहीं की जा रही है, को एक वर्ष की अस्थाई मान्यता देने हेतु शास्ति का प्रावधान किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये यह प्रावधान किया जाता है कि पूर्व में जारी आदेश के प्रावधानानुसार संस्थाओं द्वारा देय शास्ति की वसूली एक वर्ष के लिये स्थगित रखी जायेगी एवं वर्ष 2013–14 हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को एक अतिरिक्त वर्ष की अस्थाई मान्यता जारी कर दी जायेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह इस प्रकार की छूट का अंतिम वर्ष रहेगा व सम्बन्धित संस्था इसी शैक्षणिक सत्र में स्थाई मान्यता के समस्त मापदण्ड पूर्ण करना सुनिश्चित करेगी। अगर संस्था द्वारा इसी शैक्षणिक सत्र में ये मापदण्ड पूरे नहीं किये जाते हैं तो यह शास्ति अगले वर्ष सम्बन्धित संस्था से वसूल योग्य होगी। 30 अप्रैल 2014 तक संस्था मापदण्ड पूर्ण कर निदेशालय को रिपोर्ट करेंगी।

इस आदेश हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकःएफ.4/पॉलिसी/काशि/अनु./ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः –

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान
2. समस्त निजी महाविद्यालय/संस्थाएँ, राजस्थान
3. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, (वेबसाईट पर अपलोड करने)

(प्यारे लाल)
संयुक्त निदेशक, अनुदान